



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक :- 18.09.2026

कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा लूट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को लूटे गये रूपयों में से 4,76,500/- रुपये सहित किया गया गिरफ्तार ।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदया कानपुर जोन कानपुर, श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर, श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा कोतवाली मोहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 282/2026 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये 01 वांछित अभियुक्त मोनू पुत्र स्व0 विजयपाल निवासी ग्राम कल्हौर पछाह थाना घिरोर जनपद मैनपुरी को मुखबिर की सूचना पर 4,76,500/- रुपये के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01. मोनू पुत्र स्व0 विजयपाल निवासी ग्राम कल्हौर पछाह थाना घिरोर जनपद मैनपुरी ।

बरामदगी का विवरण:-

01. 4,76,500/- रुपये नगद ।

घटना का विवरण- दिनांक 19.08.2026 को वादी मुकदमा श्री नवीन कुमार अग्रवाल पुत्र राजेन्द्र कुमार अग्रवाल निवासी वृन्दावन जिला मथुरा द्वारा कोतवाली मोहम्मदाबाद पर तहरीर दी गई कि मोटरसाइकिल सवार 03 अज्ञात व्यक्ति वादी की फर्म के कर्मचारियों से बैग लूट कर ले गये हैं । प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली

मोहम्मदाबाद पर मु0अ0सं0 282/2026 धारा 309(4) बीएनएस बनाम मोटर साइकिल सवार तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये 03 अभि0गण को दि0 19.08.2026 को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटे गये रूपये बरामद होने पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर जेल भेजा जा चुका है तथा प्रकाश में आये 01 वांछित अभियुक्त मोनू उपरोक्त को 4,76,500/- रूपये (चार लाख छियत्तर हजार पांच सौ रुपये/-) के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि साहब मोहम्मदाबाद-फर्रुखाबाद रोड पर दिनांक 18.08.2026 को एक गाडी से लूट के मामले में मेरा भाई शिवकुमार तथा कुंवर बहादुर उर्फ सोनू जेल में बन्द है। घटना के बाद मेरे भाई कुंवर बहादुर उर्फ सोनू ने मुझे एक काले रंग का बैग घर में छिपा कर रखने के लिये दिया था, उस बैग को मैंने छत के उपर पानी की टंकी जिसमें पानी नहीं रहता है, उसमें रख दिया था और दिल्ली चला गया था। जब मैं वहां से वापस आया तो मेरे भाई शिवकुमार तथा सोनू की पैरवी के लिये एक वकील के माध्यम से बात हुई थी। वकील के द्वारा बताया गया था कि काफी रूपये लगेंगे मैं आपका काम करा दूंगा। तो आज मैंने अपने घर की छत पर रखी टंकी के अन्दर रखे काले बैग जिसमें मेरे भाई द्वारा दिये गये चार लाख छियत्तर हजार पांच सौ रूपये निकालकर एक नीले बैग में रखकर उसे लेकर फतेहगढ़ वकील से मिलने जा रहा था। मोहम्मदाबाद के पास मैं एक रिश्तेदार से मिलने के इन्तजार में था कि तभी आप लोगो ने आकर मुझे पकड़ लिया। अन्य सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त मोनू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

02.मु0अ0सं0 282/2026 धारा 309(4)/317(2)BNS कोत0 मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

01. निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह मलिक
02. का0 मनीष कुमार
03. रि0का0 जुगेन्द्र सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़।

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फतेहगढ़

दि०-18.09.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त राकेश उर्फ गटुआ पुत्र सकटे कठेरिया निवासी ग्राम बुढनामऊ कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु०अ०स०-309/2015 वाद संख्या 1051/2015 धारा 341,504,506 भादवि० कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय ए०सी०जे०एम० कोर्ट द्वारा दिनांक 18.09.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 02 वर्ष के साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया।



एपीओ - श्री आशीष कुमार



को० मो० - का० प्रिश कुमार



पैरोकार - हे०का० जयचन्द्र

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली - मोहम्मदाबाद

दि0-18.09.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त महेन्द्र उर्फ मटरे पुत्र भारत सिंह निवासी ग्राम भटकुरी कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ मु०अ०स० - 627/2008 वाद संख्या 95/2009 धारा 302/34 भादवि० कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय एडीजे-०१ कोर्ट द्वारा दिनांक 18.09.2026 अभियुक्त को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा व 10000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी-श्री हरिनाथ सिंह



एडीजीसी-श्री संजीव कुमार पाल



को० मो० - हे०का० अजय कुमार



पैरोकार- का० सुमित राठी